# कार्यवृत्त

## बुधवार, 31 आषाढ़, शक संवत्, 1931
## ( दिनांक 22 जुलाई, 2009 ई0 )

खण्ड-26
अंक-8

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-07 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस तथा बसपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से स्थान ग्रहण किए जाने के अनुरोध करने पर बसपा के सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये तथा कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा, श्री करन मेहरा, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्रीमती अमृता रावत की है, जो दिनांक 13 जुलाई, 2009 को रात्रि 11:45 बजे अरूण कुमार शुक्ला, निवासी-ग्राम रामनगर द्वारा अपने फोन से धमकाने का प्रयास करने के सम्बन्ध में हैं।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री नारायण पाल, श्री मो0 शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा हाजी तसलीम अहमद की है, जो जनपद ऊधमसिह नगर के तहसील सितारगंज, किच्छा में पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को बसाये गये कृषि भूमि पर मालिकाना हक, भूमिधरी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में हैं।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज तिवारी तथा श्री जोत सिंह गुनसोला की है, जो जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में 21 जुलाई, 2009 को हुई बस दुर्घटना जिसमें 10 लोगों की मृत्यु तथा 86 लोगों के घायल होने, जिसमें 15 लोगों की हालत गंभीर है। राजकीय चिकित्सालय विकासनगर में उपस्थित चिकित्सकों व स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया लेकिन ट्रामा सेंटर के अभाव में 10 लोगों की अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में हैं।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि दूसरी सूचना नियम-310 की परिधि में नहीं आती। पहली तथा तीसरी सूचना को वे ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

नियम-310 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ को दी गई धमकी विषयक सूचना के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन उठने से पूर्व इस विषय पर सरकार अपना वक्तव्य दे देगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय पर सरकार को जल्दी से जल्दी अपना वक्तव्य देने को कहेंगे। इस पर सभी सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य देकर सदन को स्थिति से अवगत कराया। श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त सूचना को अग्राह्य किया तथा निदेश दिया कि माननीय सदस्य द्वारा जो मांग की जा रही है उस पर पुनः विचार कर लें। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पुनः वक्तव्य दिये जाने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी सदस्य 'वेल' में आकर प्रकरण की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से हटाकर सिविल पुलिस से कराए जाने की मांग करते हुए जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। **घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

1 बजे मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

**सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर 'वेल' में पूर्व से बैठे कांग्रेस के सभी सदस्य तथा बसपा के काजी मो0 निजामुद्दीन तथा चौ0 यशवीर सिंह अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :-

| | |
|---|---|
| 1. श्री जोगा राम टम्टा<br>(पढ़ी हुई मानी गई) | दिनांक 09 जुलाई, 2009 से ग्राम पंचायत रैतोला में विद्युत ट्रान्सफार्मर खराब होने एवं विद्युत लाईन की मरम्मत का कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| 2. श्री गोपाल सिंह रावत<br>(पढ़ी हुई मानी गई) | जनपद उत्तरकाशी के मैणाखाल-ज्ञानसू में रात्रि को अतिवृष्टि व भू-स्खलन के कारण घरों में मलवा भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने आज की कार्यसूची की मद संख्या-08, जो अनुदान संख्या-13,16,05,06,25,08 तथा अनुदान संख्या-26 के प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान के सम्बन्ध में थी, को आगे के लिए स्थगित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

राज्य में गाड़-गदेरों पर पैदल पुलों के निर्माण व मरम्मत हेतु बजट प्राविधान न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

जनपद अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय में वर्षो से कार्यरत कनिष्ठ प्रवक्ता/विजिटिंग प्रशिक्षक नियत वेतन, संविदारत कर्मियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचना अस्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में काश्तकारों की नकदी फसलों को ओले, सूखे आदि से हो रही भारी क्षति के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में उच्च क्षमता युक्त विद्युत खम्भों व तारों से आसन्न गम्भीर दुर्घटना से बचाव हेतु इन विद्युत तारों व खम्भों को पर्याप्त दूरी पर स्थानान्तरित करने की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

**सदन की कार्यवाही 3 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**महेश चन्द्र,**
**सचिव,**
**विधान सभा।**

**स्वीकृत,**
**हरबंस कपूर,**
**अध्यक्ष,**
**विधान सभा।**